समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(o)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी (PHH) तथा अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के माध्यम से निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में प्रति माह अनुदानित खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाता है। बक्सर जिलान्तर्गत कुल 871 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी लाभुक परिवारों को प्रति युनिट 2.00 किलोग्राम गेहूँ 2.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से एवं 3.00 किलोग्राम चावल 3.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से कुल 5.00 किलोग्राम खाद्यान्न एक माह में तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूँ 2.00 रू0 प्रति किलोग्राम एवं 21 किलोग्राम चावल 3.00 रू0 प्रति किलोग्राम के दर से कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पुनः इसी भांति NFSA व Non-NFSA ग्रामीण परिवारों (जिसकी सूची प्रत्येक PDS डीलर के पास होती है) को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से किरासन तेल का वितरण किया जाता है। PDS Control Order 2016 में निहित प्रावधानों के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा प्रतिमाह वितरण किये जाने वाले अनुदानित खाद्यान्न एवं किरासन तेल का नियमित रूप से जॉच किया जाना आवश्यक है। अतः जन वितरण प्रणाली दुकानों के जॉच हेतु प्रखण्डवार निम्न पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड / अनुमण्डल	जॉचकर्त्ता पदाधिकारी / दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	बक्सर	श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर / अंचलाधिकारी, बक्सर	बक्सर अनुमण्डल
2	बक्सर शहर	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर / श्री नवनील कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, राजपुर–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, बक्सर नगर परिषद	बक्सर नगर परिषद
3	चौसा	श्री विकास कुमार जायसवाल, वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा–सह–प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, चौसा / अंचलाधिकारी, चौसा	प्रखण्ड चौसा
4	इटाढ़ी	श्री शशिकान्त पासवान, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर (आई0सी0डी0एस0) / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी / अंचलाधिकारी, इटाढ़ी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, राजपुर–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, इटाढ़ी	प्रखण्ड इटाढ़ी
5	राजपुर	श्री प्रभात कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर / अंचलाधिकारी, राजपुर / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, राजपुर	प्रखण्ड राजपुर
6	डुमरॉव	श्री हरेन्द्र कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरॉव / अंचलाधिकारी, डुमरॉव / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, डुमरॉव	प्रखण्ड डुमरॉव
7	डुमरॉव शहर	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरॉव / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, डुमरॉव–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, डुमरॉव नगर परिषद	डुमरॉव नगर परिषद
8	सिमरी	श्री कौशल कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी / अंचलाधिकारी, सिमरी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, सिमरी	प्रखण्ड सिमरी
9	ब्रह्मपुर	श्री नवनील कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर / अंचलाधिकारी, ब्रह्मपुर / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, सिमरी–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, ब्रह्मपुर	प्रखण्ड ब्रह्मपुर

10	नावानगर	श्री कृष्णानन्द चक्रवर्ती, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर/अंचलाधिकारी, नावानगर/अंचलाधिकारी, चौगाई–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नावानगर	प्रखण्ड नावानगर
11	चक्की	सुश्री सरिता कुमारी, जिला संख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्की/अंचलाधिकारी, चक्की/अंचलाधिकारी, चौगाई–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्की	प्रखण्ड चक्की
12	चौगाई	श्री मनोज कुमार रजक, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौगाई/अंचलाधिकारी, चौगाई–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौगाई	प्रखण्ड चौगाई
13	केसठ	श्री राम एकबाल राम, जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केसठ/अंचलाधिकारी, केसठ–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, केसठ	प्रखण्ड केसठ
14	जिला बक्सर	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर	सभी प्रखण्डों के पंचायत में अवस्थित पैक्स

उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि प्रति पक्ष अपने–अपने प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली के न्यूनतम 5 (पॉच) दुकानों का उनके खुले रहने की अवधि (07.00 AM–01.00 PM तक) में जॉच कर जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यह ध्यान रहे कि अगले पक्ष इन्हीं दुकानों का पुनरावृति नहीं हो। अतः इस परिप्रेक्ष्य में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि जॉच के क्रम में दुकानों की फोटोग्राफी, भण्डार की स्थिति, लाभुकों की सूची, खाद्यान्न की गुणवत्ता, माप–तौल हेतु बाट–बटखरा के स्थिति का अवलोकन करते हुए निर्धारित दर तथा निर्धारित मात्रा में किये जा रहे वितरण के संबंध में लाभुकों से बातचीत करेंगे एवं उनका बयान भी दर्ज करेंगे।

अनुलग्नक :– जॉच हेतु विहित प्रपत्र संलग्न।

विश्वासभाजन

30/–

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-309 /आ0 दिनांक 26/3/2019

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।